

प्रपत्र VI

जिला दण्डाधिकारी—सह—उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा। (भू—अर्जन शाखा) प्रारंभिक अधिसूचना (अधिनियम— 30/2013 की धारा 11 (1) के अधीन)

संख्या— 189 (बी0) / भू०अ०, प० सिंहभूम, चाईबासा, दिनांक :- 07.04.2017

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है ग्राम— असुरा, थाना— कोल्हान, थाना नं०— 572, अंचल— झीकपानी, जिला— पश्चिमी सिंहभूम में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना असुरा—कुमारदुंगी भाया बलंडिया पथ के 15वें कि०मी० में चैनेज 14.850 कि०मी० पर लालीगढ़ा नाला पर उच्च स्तरीय सेतु निर्माण हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस०आई०ए० ईकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार—संक्षेप यथा—निम्न है— “सेतु निर्माण के दौरान ज्यादातर लोगों की जमीन का अंश भाग अधिग्रहित किया जायेगा। परियोजना हेतु भू—अर्जन किये जाने की सहमति दी जाती है”। भू—अर्जन के कारण कुल षून्य परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। इस बाध्यकारी विस्थापन का कारण नीचे दिया गया है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी को प्रभासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम— असुरा, थाना— कोल्हान, थाना नं०— 572, अंचल— झीकपानी, जिला— पश्चिमी सिंहभूम में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवष 0.08 एकड़ है जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :-

क्र०	खाता सं०	सर्वे प्लॉट सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	127	22	रैयती	गोडा	0.08	महावीर बुड़ीउली, राम नारायण हो पिता— भोलानाथ हो, योगेन्द्र हो पिता— जमादार हो	22 अंश	22 अंश	सड़क	23
Total Area-					0.08					

यह अधिसूचना भू—अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्षिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) की धारा— 11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता—सह—समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथानिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू—वेधन—छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अन्तर्गत भू—अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू—अर्जन पदाधिकारी
प० सिंहभूम, चाईबासा।

अपर उपायुक्त
प० सिंहभूम, चाईबासा।

प्रपत्र VI

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा। (भू-अर्जन शाखा) प्रारंभिक अधिसूचना (अधिनियम- 30/2013 की धारा 11 (1) के अधीन)

संख्या- 187 (बी0)/भू0अ0, प0 सिंहभूम, चाईबासा, दिनांक :- 07.04.2017

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है ग्राम- गुड़ा, थाना- कोल्हान, थाना नं0- 561, अंचल- झीकपानी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना असुरा-कुमारडुंगी भाया बलंडिया पथ के 15वें कि0मी0 में चैनेज 14.850 कि0मी0 पर लालीगढ़ा नाला पर उच्च स्तरीय सेतु निर्माण हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस0आई0ए0 ईकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार-संक्षेप यथा-निम्न है- "सेतु निर्माण के दौरान ज्यादातर लोगों की जमीन का अंश भाग अधिग्रहित किया जायेगा। परियोजना हेतु भू-अर्जन किये जाने की सहमति दी जाती है"। भू-अर्जन के कारण कुल घून्च परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। इस बाध्यकारी विस्थापन का कारण नीचे दिया गया है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी को प्रभासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम- गुड़ा, थाना- कोल्हान, थाना नं0- 561, अंचल- झीकपानी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमीवष 0.51 एकड़ है जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :-

क्र0	खाता सं0	सर्वे प्लॉट सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	62	2206	रैयती	गोडा	0.16	परगना हो पिता- कृष्णा हो	2209	12196	2206 अंश	2206 अंश
2	186	2203	रैयती	गोडा	0.02	जुम्बल हो पिता- छोटा कान्डे हो, कान्डे हो, रेगा हो पिता- अंकुरा हो	2206	2197	2203 अंश	2196
3	255	2208	रैयती	गोड़ा	0.03	मो0 पुड़मी पति- दुगा हो	2209	2207	2208 अंश	सड़क
4	257	2209	रैयती	गोडा	0.02	मो0 पुड़मी पति- दुगा हो	2162	2208	2209 अंश	सड़क
5	345	2207	रैयती	गोड़ा	0.06	रामाए हो, पाण्डु हो, कुषल हो, जमादार हो पिता- मोएका हो	2208	2207 अंश	2206	रास्ता
6	152	2196	रैयती	पु0परती	0.10	भुलु हो पिता- माटो हो, भुलु हो पिता- जुडु हो	2106	नाला	2196 अंश	रास्ता
7	152	2197	रैयती	पु0परती	0.12	अंकुरा बहादुर हो, जोगना हो पिता- माटु प्रधान हो	2203	नाला	2197 अंश	2196
Total Area-					0.51					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) की धारा- 11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथानिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अन्तर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ज्ञापांक / भू0अ0, प0 सिंहभूम, चाईबासा दिनांक

प्रतिलिपि :- श्री बाबु राम महतो, अमीन/श्रीमती मीनाक्षी बोदरा, अनुसेवी को सूचनार्थ प्रेषित। आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त ग्राम का अधिग्रहित की जानी वाली भूमि का अधिनियम की धारा 12 में यथानिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों (बुझारत एवं संरचना मापी) के संचालन करना एवं तत्पश्चात् प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक / भू0अ0, प0 सिंहभूम, चाईबासा दिनांक

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को सूचनार्थ एवं जिला गजट के साधारण/असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा/अंचल अधिकारी, झीकपानी/जिला अवर निबंधक, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा/ग्रामीण मुण्डा/मानकी को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक / भू0अ0, प0 सिंहभूम, चाईबासा दिनांक

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचना का प्रकाशन दो अलग-अलग समाचार पत्रों में करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचना का प्रकाशन website (www.chaibasa.nic.in) में करने की कृपा की जाय।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक / भू0अ0, प0 सिंहभूम, चाईबासा दिनांक

प्रतिलिपि :- आयुक्त के सचिव, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डन, चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक / भू0अ0, प0 सिंहभूम, चाईबासा दिनांक

प्रतिलिपि :- उप सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

प्रपत्र VI

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा। (भू-अर्जन शाखा) प्रारंभिक अधिसूचना (अधिनियम- 30/2013 की धारा 11 (1) के अधीन)

संख्या- 190 (बी0)/भू०अ०, प० सिंहभूम, चाईबासा, दिनांक :- 07.04.2017

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है ग्राम- उकुमटकम, थाना- कोल्हान, थाना नं०- 220, अंचल- मंझारी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना असुरा-कुमारडुंगी भाया बलंडिया पथ के 15वें कि०मी० में चैनैज 14.850 कि०मी० पर लालीगढ़ा नाला पर उच्च स्तरीय सेतु निर्माण हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस०आई०ए० ईकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार-संक्षेप यथा-निम्न है- "सेतु निर्माण के दौरान ज्यादातर लोगों की जमीन का अंश भाग अधिग्रहित किया जायेगा। परियोजना हेतु भू-अर्जन किये जाने की सहमति दी जाती है"। भू-अर्जन के कारण कुल शून्य परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। इस बाध्यकारी विस्थापन का कारण नीचे दिया गया है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी को प्रभासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम- उकुमटकम, थाना- कोल्हान, थाना नं०- 220, अंचल- मंझारी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवष 0.39 एकड़ है जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :-

क्र०	खाता सं०	सर्वे प्लॉट सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	44	53	रैयती	पु०परती	0.04	मो० नानिका कुई, पति- डुका हो	54	51	52	रोड़
2	44	54	रैयती	दोन	0.04	मो० नानिका कुई, पति- डुका हो	55	53	55	54 अंश
3	44	55	रैयती	गोड़ा	0.19	मो० नानिका कुई, पति- डुका हो	56	53	55 अंश	55 अंश
4	177	51	रैयती	मकान सहन	0.04	प्रोसोतम गोप पिता- सागर गोप	53	49	51 अंश	रोड़
5	177	52	रैयती	गोड़ा	0.01	प्रोसोतम गोप पिता- सागर गोप	53	51	52	रोड़
6	253	49	रैयती	गोड़ा	0.02	लंकेष्वर तांती पिता- कन्हाई तांती	51	48	49 अंश	रोड़
7	253	50	रैयती	मकान सहन	0.05	लंकेष्वर तांती पिता- कन्हाई तांती	51	49	49	रोड़
Total Area-					0.39					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) की धारा- 11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथानिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अन्तर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

